

उत्तर प्रदेश शासन
नियुक्ति अनुभाग-9
संख्या-955/दो-9-2018-17(9)/2010
लखनऊ : दिनांक : 18 अप्रैल, 2018

कार्यालय-ज्ञाप

श्री रघुवीर पी0सी0एस0 को उनके पत्र दिनांक 05.04.2018 के सन्दर्भ में श्री राज्यपाल सामान्य भविष्य निधि (उत्तर प्रदेश) नियमावली-1985 के नियम-16(1)(ग)(ख) सपठित नियम-17(1)(क) के अधीन भूखण्ड संख्या-सी-1/198, गोमतीनगर, विस्तार लखनऊ पर भवन के लिए गये ऋण की अदायगी हेतु उनके सामान्य भविष्य निधि खाता संख्या-जी.ए.यू./78592 से रू0-2,40,000/- (रूपये दो लाख चालीस हजार मात्र) के अन्तिम निष्कासन की स्वीकृति निम्नलिखित शर्ताधीन प्रदान करते हैं :-

- 1- उक्त स्वीकृति उनके सामान्य भविष्य निधि खाते में जमा धनराशि के 3/4 भाग से अधिक नहीं होगी।
- 2- यदि उक्त अन्तिम निष्कासन से प्राप्त धनराशि का उपयोग कथित प्रयोजन हेतु न किया जा सके अथवा उसका कोई भाग शेष बच जाये तो वह धनराशि खाते में तुरन्त वापस जमा करा दी जाय।
- 3- उक्त अन्तिम निष्कासन उन्हें विशेष दशा में स्वीकृत किया जा रहा है। निष्कासन से प्राप्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र (साक्ष्य सहित) शासन को तीन माह के भीतर अवश्य उपलब्ध कराया जाय।


अनिता श्रीवास्तव
विशेष सचिव।

संख्या-955(1)/दो-9-2018, तद्दिनांक,

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- पंजीकृत-
- 1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम, निधि-24, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
 - 2- सम्परीक्षा अधिकारी कास. (viii) फण्ड महालेखाकार, कार्यालय उ0प्र0 इलाहाबाद।
 - 3- इरला चेक अनुभाग को एक अतिरिक्त प्रति सहित।
 - 4- श्री रघुवीर पी0सी0एस0, विशेष सचिव, धर्मार्थ कार्य विभाग, उ0प्र0 शासन।
 - 5- नियुक्ति अनुभाग-7/गार्ड बुक की प्रति/कम्प्यूटर प्रकोष्ठ।
 - 6- कम्प्यूटर प्रोग्रामर, नियुक्ति विभाग।

आज्ञा से,


(विश्वनाथ दुबे)
अनु सचिव। 2

उत्तर प्रदेश शासन
नियुक्ति अनुभाग-9
संख्या-964/दो-9-2018-17(6)/2010
लखनऊ : दिनांक : 18 अप्रैल, 2018

कार्यालय-ज्ञाप

श्री राजपाल सिंह, पी0सी0एस0 को जिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर के पत्र दिनांक 10.04.2018 के द्वारा उपलब्ध कराये गये उनके आवेदन पत्र के सन्दर्भ में श्री राज्यपाल सामान्य भविष्य निधि (उ0प्र0) नियमावली-1985 के नियम-16(1)(क(बी)) सपटित नियम-17(1)(क) के अधीन उनकी पुत्री के विवाह हेतु उनके सामान्य भविष्य निधि खाता संख्या-जी0ए0यू0-75807 से रू0-10,00,000/- (रूपये दस लाख मात्र) के अन्तिम निष्कासन की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान करते हैं :-

- (1) उक्त स्वीकृति उनके सामान्य भविष्य निधि खाते में जमा धनराशि के 3/4 भाग से अधिक नहीं होगी।
- (2) यदि उक्त अन्तिम निष्कासन से प्राप्त धनराशि का उपयोग कथित प्रयोजन हेतु न किया जा सके अथवा उसका कोई भाग शेष बच जाये तो वह धनराशि खाते में तुरन्त वापस जमा करा दी जाय।
- (3) उक्त अन्तिम निष्कासन उन्हें विशेष दशा में स्वीकृत किया जा रहा है। निष्कासन से प्राप्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र (साक्ष्य सहित) शासन को तीन माह के भीतर अवश्य उपलब्ध कराया जाय।

अनिता श्रीवास्तव
विशेष सचिव।

संख्या-964(1)/दो-9-2018, तददिनांक,

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- पंजीकृत- 1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम, फण्ड अनुभाग-24, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- पंजीकृत- 2- मुख्य कोषाधिकारी, गौतमबुद्धनगर।
- 3- जिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर।
- पंजीकृत- 4- श्री राजपाल सिंह, पी.सी.एस., डिप्टी कलेक्टर, गौतमबुद्धनगर को उनकी जी0पी0एफ0 पासबुक संख्या-जी0ए0यू0-75807 (मूलरूप में) सहित।
- 5- नियुक्ति अनुभाग-7/गार्ड बुक की प्रति।
- ✓6- कम्प्यूटर प्रोग्रामर, नियुक्ति विभाग को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

आज्ञा से,

विश्वनाथ दुबे
(विश्वनाथ दुबे)
अनु सचिव।